राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र. एफ 40(1)ग्रावि / नरेगा / सा.नि.वि. / ह.स. / अलवर / 2010   जयपुर, दिनांक:
3 1 AUG 2010

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत किये .जाने वाले निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में कन्टींजेंसी के उपयोग बाबत दिशानिर्देश।
प्रसंगः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 16.02.10 एवं आदेश क्रमांक एफ 40(11)ग्रावि / नरेगा / परिपत्र–निर्देश / 2010 दिनांक 23.04.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के तकमीने में अधिकतम 2 प्रतिशत कन्टींजेंसी अथवा वास्तविक व्यय में से जो भी कम हो, वह इस मद में देय होने एवं उक्त व्यय योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक व्यय मद से वहन किये जाने बाबत निर्देश दिये गये थे। इन आदेशों के क्रम में संशोधन कर निर्देशित किया जाता है कि लाईन विभागों द्वारा तकमीनों में लिया जाने वाला उक्त 2 प्रतिशत कन्टींजेंसी व्यय प्रशासनिक मद के स्थान पर कार्य के सामग्री मद से निम्न शर्तों की पूर्ति उपरांत किया जावे–

i) उक्त कन्टींजेंसी व्यय तकमीने का भाग होगा।
i) कन्टींजेंसी पर किया जाने वाला व्यय / क्रय वित्तीय नियमों की नियमानुसार पालना करते हुए किया जावे।
iii) लाईन विभागों द्वारा कन्टींजेंसी पर व्यय राशि के बिलों का पृथक से रजिस्टर संधारित करना होगा। इसमें कार्यवार व्यय बिलों का विवरण होगा। उक्त रजिस्टर निरीक्षण पर जाने वाले विभागीय अधिकारियों तथा ऑडिट के मांगने पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
iv) कन्टींजेंसी पर व्यय राशि के बिलों का भुगतान करने के तत्काल बाद एम.आई. एस. पर फीडिंग कराने का दायित्व लाईन विभाग के संबंधित अधिकारी का होगा।

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजकर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपेक्षित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियंता (एस.एस.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान।

31/8/10

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस